21

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 560—दो/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 02—01—2007 के द्वारा आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 21/2005—06/विविध

.....

रामनाथ सिंहशिक्षा प्रसार समिति गोरमी द्वारा
रामबहादुर सिहं भदौरिया पुत्र डोंगर सिहं,
उपसचिव रामनाथ सिहं शिक्षा प्रसार समिति
गोरमी, तहसील मेंहगांव,
जिला— भिण्ड म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1— वनवारी सिहं भदौरिया पुत्र महेश सिहं भदौरिया
निवासी बालूपुरा, तहसील मेंहगांव,
जिला— भिण्ड म0प्र0

2— लीलादेवी पुत्री मोतीराम जाति ठाकुर, निवासी
गोरमी तहसील मेंहगांव,
जिला— भिण्ड म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एम0के0 भटनागर, अभिभाषक, आवेदक
श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-9-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/2005—06 में पारित आदेश दिनांक 02—01—2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक रामनाथ सिहं शिक्षा प्रसार समिति गोरमी के उप सचिव रामबहादुर सिहं भदौरिया पुत्र डोंगर सिहं मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता की धारा 29

के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी मेंहगांव के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 12/2005–2006/अ.मा. को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक ने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि अनुविभागीय अधिकारी मेंहगांव ने एकपक्षीय जांच कर तहसीलदार मेंहगांव को राजस्व अभिलेख में पटवारी द्वारा गलत एवं फर्जी प्रविष्टि को निरस्त करने के निर्देश दिये है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी मेंहगांव द्वारा आवेदक के प्रकरण में उसी जांच के आधार पर निर्णय किए जाने की पूर्ण संभावना है तथा उनसे निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष मौजा गोरमी के सर्वे कमांक 1844 के सम्बन्ध में विवाद है और इसी सम्बन्ध में उनके समक्ष धारा–145 सी.आर. पी.सी का प्रकरण संचालित हुआ, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने स्वयं स्थल निरीक्ष्ण कर मौके पर प्रार्थी का कब्जा संपादित होना पाया, किन्तु इसी भूमि के सम्बन्ध में पुनः एकपक्षीय जांच में कब्जे का इन्द्राज रिकार्ड में गलत होना माना है। इस प्रकार उनके द्वारा बार बार अपने निष्कर्ष को बदलने के कारण उनसे न्याय की आशा नहीं है। आवेदक से पेशी पर उपस्थित होकर सुनवाई के समय अनुविभागीय अधिकारी ने स्वंय व्यक्त किया कि मैंने ही जांच की है, मेरे ही समक्ष अपील पेश की है जो अपने पूर्व के निष्कर्ष को ही दुहराउॅगा। ऐसी स्थिति में अनुविभगीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन अपील प्रकरण में निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं होने से उसे किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित करने का निवेदन किया है। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रकरण पेश की है, जो प्रकरण क्रमांक 21/2005–06/विविध में दर्ज होकर आदेश दिनांक 02.01.2007 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अन्तरण सम्बन्धी आवेदन आधारहीन मानते हुये निरस्त किया गया । अपर अयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के उक्त आदेश दिनांक 02.01.2007 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि प्रकरण में पूर्णतः प्रमाणित है कि अनुविभागीय अधिकारी मेंहगांव ने स्वयं जांच करके आदेश दिया है, जिस आदेश को चुनौती देते हुये आवेदक ने 12.05.2006–2007 अपील माल प्रस्तुत की है और तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने की मांग की है और उक्त आदेश तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मेंहगांव के आदेश पर ही कार्यवाही करते हुये आदेश पारित किया गया है। इसलिये उस आदेश को अपील में सुनने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव को नहीं है। इन

परिस्थतियों में धारा–29 भू–राजस्व संहिता के अधीन आवेदक का प्रार्थना पत्र कानून स्वीकार होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त करने में अपने विचाराधिकार का समोचित उपयोग नहीं किया है। यह विधि का सुव्यवस्थित न्याय सिद्धांत है कि कोई भी न्यायालय कानून उस प्रकरण का निराकरण नहीं कर सकता है, जिसमें उसने स्वयं ही पूर्व में आदेश दिया है । इसलिये न्याय सिद्धांत के अनुसार प्रकरण अन्य न्यायालय में हस्तांतरित किया जाना उचित एवं न्याय सगंत होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीं अधीन आदेश पारित करने में महान भूल की है। उन्होंने तर्क में यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष की प्रशासनिक अधिकारी और अपील अधिकारी के अधिकार पृथक–पृथक हैं, इसलिये जिस अधिकारी ने प्रशासनिक आदेश दिये हैं वह अधिकारी किसी अन्य अधिकार से अपील सुन सकता है। जबकि प्रकरण में प्रशासनिक अधिकारी एवं अपील अधिकारी एक ही हैं। इसलिये निगरानी अधीन आदेश पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे ।

4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषगण के तर्क श्रवण किये गये तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया । आवेदक के अभिभाषक ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिये है कि तहसीलदार का आदेश अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश के आधार पर पारित हुआ है । संहिता की धारा 145 सी.आर.पी.सी. के प्रकरण में स्वयं के द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण में कॉलेज संचालित होना पाया गया है। शेष तर्क आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुरूप है । आवेदक के अभिभाषक ने तर्क में यह बताया कि अनावेदक ने विधिवत विक्रय पत्र द्वारा भूमि क्रय की है, किन्तु खसरा में वास्ते शिक्षा प्रसार समिति का फर्जी इन्द्राज किया गया है । तहसीलदार ने स्वविवेक से प्रविष्टि विलोपित करने का आदेश पारित किया है । कब्जे का विवाद है । तहसीलदार ने मात्र फर्जी प्रविष्टि को सुधारा है । अनुविभगीय अधिकारी पर कोई आरोप नहीं है ।

5/ अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक रामनाथ शिक्षा प्रसार समिति, गोरमी के उप सचिव रामबहादुर सिंह द्वारा अपर तहसीलदार मेंहगांव के प्ररकण क्रमांक 8/2004–05/अ–6(अ) में पारित आदेश दिनांक 12.09.2005 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई, जो क्रमांक 12/2005–2006/अपील माल पर दर्ज हुई । प्रकरण में विधिवत कार्यवाही करते हुये आवेदक एवं अनावेदकगण को तलव किया गया । अनावेदक क्र0 1 के पूर्व

अधिभाषक द्वारा दिनांक 25.01.2006 को अपील मेंमो की और दिनांक 22.02.2006 को अन्य दस्तावेजों की नकले दी गई । प्रकरण जवाब हेतु नियत किया गया । इसी बीच आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मेंहगांव के न्यायालय में प्रकरण को अन्य में अन्तरित करने हेतु संहिता की धारा 29 के तहत अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पत्रिका को देखने पर प्रकरण में अपील प्रस्तुत होने के दिनांक से आज तक ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय प्राप्त नहीं हो सकता । मात्र संभावना के आधार पर इस बात का कयास लगाना कि " अनुविभागीय अधिकारी ने पूर्व में भी आवेदक की अनुपस्थिति में एकपक्षीय जांच को स्वीकार कर प्रविष्टि गलत माना है, उसी जांच पर निर्णय होने की पूर्ण संभावना है, जिससे उसे निष्पक्ष न्याय मिलने की आशा नहीं है।" यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

6/ अभिलेख में यह उल्लेखनीय है कि आवेदक ने जिस जा.फौ. की धारा 145 के प्रकरण में निकले गये निष्कर्ष का उल्लेख अपने आवेदन में किया है वह कॉलेज परिसर में अशांति एवं उसकी सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में लिया गया निर्णय है जो अनुविभागीय दण्ढ अधिकारी की हैसियत से लिया गया है । शिकायती प्रकरण में तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन के अनुसार अभिलेख के आधार पर प्रमाणित फर्जी प्रविष्टि विलोपित करने की स्वीकृति एक प्रशानिक अधिकारी की हैसियत से दी जाना पाई जाती है और विचाराधीन प्रकरण में की जा रही कार्यवाही और अनुविभागीय अधिकारी के रूप में संपादित की जा रही है, जिसमें निष्पक्ष न्याय मिलने के पूर्व से ही आशंका करना स्वीकार योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त आवेदक ने अन्तरण के आवेदन में मामले को आन्तरित करने का अन्य कोई ठोस आधार व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है । अतः प्रकरण का अन्तरण समाचीन नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर